

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
361/2023

दायर दिनांक
16.10.2023

निर्णय दिनांक
26.02.2024

उनवान

1. श्री जगदीशचन्द्र पिता श्री सोहन लाल भदादा जाति भदादा उम्र व्यस्क निवासी भदादा बाग तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. गुलाम रसूल पिता श्री रमजान अली नदाफ जाति मुसलमान आयु व्यस्क निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
2. मुनीददीन पिता श्री रमजान अली नदाफ जाति मुसलमान आयु व्यस्क निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
3. मोहम्मद रफिक पिता श्री रमजान अली नदाफ जाति मुसलमान आयु व्यस्क निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
4. मोहम्मद रशीद पिता श्री रमजान अली नदाफ जाति मुसलमान आयु व्यस्क निवासी आर.के. कोलॉनी हाल चित्तोडगढ़ तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
5. खेरून पुत्री श्री हसमत अली जाति मुसलमान आयु व्यस्क निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
6. खुर्शीद बानु पुत्री श्री हसमत अली जाति मुसलमान आयु व्यस्क निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
7. मोहम्मद शरीफ पिता श्री हसमत अली जाति मुसलमान आयु व्यस्क निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
8. रईसा बानु पुत्री श्री हसमत अली जाति मुसलमान आयु व्यस्क निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
9. सरोज पत्नि श्री राजेन्द्र जी जाति मेहता आयु व्यस्क निवासी 58 गांधी नगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
10. श्रीमति राजश्री पत्नि श्री जिनेन्द्र जी मोदी जाति मोदी आयु व्यस्क निवासी 1-टी-8 आर.सी. व्यास कॉलोनी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा (राज०)

—विपक्षीगण


उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी मांगी लाल सेन

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पांसल प०ह० पांसल-प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 487 की अभिलिखित आराजियात 3808 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पांसल प0ह0 पांसल-प्रथम भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 487 की अभिलिखित आराजियात 3808 कुल किता 01 कुल रकबा 0.5817 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ)

आह्लाद अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा